सूचना के अधिकार का मामला/ समयबद्ध

फा० सं० 22014/46/2017 - एलआरडी

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

****

'जी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 01 अगस्त 2017

सेवा में,

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी,
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय,
ट्रांसपोर्ट भवन, नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत जानकारी।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत जानकारी हेतु श्री दिनेश कुमार अग्रवाल का दिनांक 25 मई 2017 का आवेदन पत्र विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 29 जून 2017 को प्राप्त हुआ है। चूंकि यह मामला आपके मंत्रालय से संबन्धित है, सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत इस मामले को आपको स्थानांतरित किया जा रहा है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 विभाग की वैबसाइट <http://dolr.nic.in> पर उपलब्ध हैं।

भवदीय,

(पी० सी० प्रसाद)
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23062456

प्रतिलिपि: श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, 208, विभव रेजीडेंसी, विभव नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश – 282001

Scan & send to
1. US(LA) for suitable action
2. NHAI

O/o C. R. Section (RTH)
Dairy No. 1241100/2017/CR
Date 4-8-2017

(133)

जेड-11014/1/2017-जीसी

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

जी विंग. एन.बी.ओ. बिल्डिंग.

निर्माण भवन. नई दिल्ली -110011

दिनांक: 29.06.2017

e-3 9886/DS(LR)/2017
3/8/2017

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: <u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने के आवेदन का अग्रेषण – श्री दिनेश कुमार अग्रवाल।</u>

अधोहस्ताक्षरी को श्री दिनेश कुमार अग्रवाल. 208. वैभव रेजीडेंसी. विभव नगर. आगर. उत्तर प्रदेश-282001 के आवेदन पत्र दिनाक 25.05.2017. जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या के-11018/03-352/2017(आरटीआई) दिनांक 21.06.2017 के द्वारा इस विभाग मे 28.06.2017को प्राप्त हुआ है. को अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

माँगी गई सूचना भू-संसाधन प्रभाग (LR Division) से निकटतम/closely संबन्धित होने के कारण भू-संसाधन प्रभाग (LR Division) के सीपीआईओ/DS(LR) से अनुरोध है कि सूचना के अधिकार अधिनियम. 2005 के तहत आवेदन पर उचित कारवाई करे/मांगी गई सूचना का जवाब सीधे आवेदक को भेजने के साथ इस अनुभाग को भी सूचित करे

यदि यह RTI आवेदन आपके विभाग से संबन्धित न होकर किसी अन्य विभाग/Public Authority से संबन्धित है तो सूचना के अधिकार अधिनियम. 2005 के तहत. आवेदक को सूचित करते हुए. संबन्धित को भेजे।

(विजय प्रकाश)

निदेशक (जीसी और संसद)

संलग्नक: यथोपरि

सीपीआईओ/उप सचिव (श्री फूल चन्द्र प्रसाद)

भू-संसाधन प्रभाग (LR Division)

भू संसाधन विभाग

प्रति: श्री दिनेश कुमार अग्रवाल. 208. वैभव रेजीडेंसी. विभव नगर. आगर. उत्तर प्रदेश-282001

सं0 के-11018/03-352/2017(आरटीआई)
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय

आर0टी0आई0 काउन्टर
कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनाँक 21/06/2017

सेवा में,

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी
भूमि अधिग्रहण विभाग
एन.बी.ओ.बिल्डिग निर्माण भवन
नई दिल्ली-110001

विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन।

उपरोक्त विषय पर श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, के पत्र दिनांक 25/5/2017, के संदर्भ मे है। आवेदन पत्र इस मंत्रालय में विधी और न्याय मंत्रालय के द्वारा 16/06/2017 को प्राप्त हुआ। पत्र में मांगी गई सूचना भूमि अधिग्रहण विभाग से भी संबधित है। अत पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत पत्र कार्यवाई हेतू हस्तांतरित किया जा रहा है।

पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवश्यक कार्यवाई हेतू हस्तांतरित किया जा रहा है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय वस्तु किसी अन्य विभाग से सम्बधित है तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को आगे सीधे उस विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाए।

भवदीय

(कपूरसिंह)
अवरसचिव(आरटीआई)

प्रतिलिपी-
श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, 208, वैभव रेजीडेंसी, विभव नगर आगरा, उत्तर प्रदेश-282001, आप अपनी सूचना हेतू उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करे।

RTI Cell

ग्रामीण विकास मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली
आवक सं. 264558
डायरी सं. ....

अति तत्काल
सूचना के अधिकार के मामले

सं. 6(22)/2017-आर.टी.आई.
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
आर.टी.आई. कक्ष

352/RTI/2017
16/6/17

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 9/6/17

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदन-पत्र ।

*****

इस विभाग को श्री/~~श्रीमति~~/सुश्री दिनेश कुमार अग्रवाल का दिनांक 25-5-17 का आवेदन पत्र अंतरण द्वारा .... से प्राप्त हुआ है (दिनांक 7-6-17 को प्राप्त)। चूंकि आवेदन की विषय-वस्तु ग्रामीण विकास मंत्रालय/~~विभाग~~ से संबंधित है, अतः उक्त आवेदन को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अधीन संबंधित लोक प्राधिकारी .... को अंतरित किया जाता है । यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषयवस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित है तो आवेदक को सूचित किए जाने के पश्चात आवेदन को सीधे लोक प्राधिकारी को अंतरित किया जा सकता है।

2. सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक ने रू 10/– की निर्धारित फीस जमा कर दी है/~~दावा किया है कि वह गरीबी रेखा से नीचे है इसलिए फीस जमा नहीं की है।~~

संलग्नक - यथोक्त

~~भवदीय~~

(एस के चिटकारा)
उप सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

श्री CPIO
M/o Rural Development
Krishi Bhawan
New Delhi

DS(VR)

प्रतिलिपि प्रेषित :- श्री/~~श्रीमति/सुश्री~~ दिनेश कुमार अग्रवाल
208, निगम कॉलोनी, निगम नगर
आगरा, उ०प्र० - 282001

आवेदक से अपेक्षित सूचना प्राप्त करने हेतु संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

RU-58191556-2M-26/5/2017

सेवा में,

श्रीमान मुख्य जनसूचना अधिकारी/

सचिव महोदय विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार,

पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली - 110001.

विषयः- "सूचना अधिकार अधिनियम 2005" के तहत सूचना प्राप्त करना।

महोदय,

प्रार्थी की पत्नी श्रीमती आशा अग्रवाल की भूमि स्थित मौजा धरैरा तहसील एत्मादपुर जिला आगरा राज्य उ० प्र० स्थित NH-2 के पुनः चौड़ीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (48 of 1956) के तहत किया गया। उक्त भूमि का अपूर्ण प्रतिकर भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जैसा सूचित किया गया, Act 30 of 2013, प्रभावी दिनांक- 01.01.14 के प्रावधानों के तहत किया गया है लेकिन रिहेबिलेशन तथा रिसेटलमेंट, एवं एवार्ड के दिनांक से वास्तविक भुगतान की तारीख तक के ब्याज का कोई भी भुगतान नहीं किया गया तथा यह कहा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से इससे सम्बन्धित भुगतान के लिए कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः उपरोक्त के विषय में तथा कुछ अन्य बिन्दुओं पर **"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005"** के तहत सूचना तथा स्पष्टीकरण चाहिये कृपया सूचित करें।

(1) सक्षम प्राधिकारी (अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956) द्वारा किये जाने वाले कार्य का Scope "कार्यक्षेत्र" क्या होता है कृपया विस्तार से साक्ष्य सहित सूचित करें।

(2) सक्षम प्राधिकारी समय-2 पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिए निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं अथवा अधिनियम में उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित किया हुआ है और वह स्वतन्त्र रूप से कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, कृपया सूचित करें।

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह कथन कई जगह स्वीकार किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में प्रतिकर निर्धारण का कोई भी आधार एवं प्रक्रिया नहीं दी गयी है (प्रार्थी के पास साक्ष्य उपलब्ध है) अतः भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों को अपनाया जाता है जैसाकि वर्तमान में **"The Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act 2013" (Act 30, 2013)** को प्रतिकर भुगतान की प्रक्रिया में अपनाया जा रहा है। क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा Act 30, 2013 में दिये गये प्रतिकर भुगतान के विभिन्न प्रावधानों को स्वेच्छा के अनुसार अपनाया जा सकता है अथवा भूमि की कीमत, सोलेशियम, निर्माण का भुगतान, रिहेबिलेशन एवं रिसेटलमेंट तथा ब्याज का भुगतान, Act में दी गयी विभिन्न धाराओं में दिये गये प्रावधानों के अनुसार, संयुक्त रूप से किया जाना उनकी बाध्यता है, सूचित करें।

(4) यहकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना अन्तर्गत अधिनियम धारा 3G(3) के प्रकाशन दिनांक- 17.04.13 एवं संशोधित प्रकाशन दिनांक- 07.09.13 के द्वारा भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों से अपने दावों को प्रकाशन की तिथी से 21 दिनों के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये कहा गया था। उक्त प्रकाशन में जो त्रुटियां तथा आपत्तियां भू-स्वामियों को थी प्रार्थी दिनेश अग्रवाल द्वारा पत्र दिनांक- 01.08.13 एवं 15.09.13 के द्वारा श्रीमान सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्यापति) आगरा को उनके कार्यालय में दिनांक-19.09.13 को प्राप्त करा कर दावा प्रस्तुत कर दिया गया था (दी गयी समय सीमा के अन्दर), लेकिन उक्त दावा पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद आपके द्वारा न तो बुलाया गया, न साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किया गया और न

286

MoW Rural Development

अतः सूचित करें कि ऐसी परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया एवार्ड निर्णय स्थिर रहने योग्य है अथवा नहीं, जैसाकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिनिर्णित किया गया है कि "अभिनिर्णय से पूर्व दायर आपत्तियों का निस्तारण किया जाना अति आवश्यक है।" (सन्दर्भ- (i) In the Supreme Court Of India Civil Appeal No. 5478-5483 of 2014 Shiv Raj V/s Union Of India & Ors D/- 07.05.14 - [Para- 1]

(ii) Para- 7- Nandeshwar Prasad V/s U.P. Govt. AIR 1964 SC1217)= "Para- 13- The right to file objections under section 5A is a substantiai right, when a person's property is being threatened with acquisition and we cannot accept that right can be taken away as if by a side wind."

(5) क्योंकि प्रतिकर का भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिये गये आधार को मानकर पूर्व में तथा वर्तमान में Act 30 सन 2013 के प्रावधानों का अपनाकर किया जा रहा है, अतः उस परिस्थिति में यदि प्रतिकर प्राप्तकर्ता प्रतिकर धनराशि अथवा अन्य लाभों से यदि वंचित रखा जाता है अथवा प्रतिकर की धनराशि के विषय में आपत्ति है तो किस अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन दिया जाना चाहिये तथा किस कानून के किस प्रावधान के तहत कृपया मय कारणों के स्पष्टता के साथ सूचित करें।

(6) क्योंकि प्रतिकर का भुगतान पूर्व में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों को आधार मानकर किया जा रहा था तथा वर्तमान में Act 30 सन 2013 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है उस परिस्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G-5 के अन्तर्गत आर्बीट्रेटर महोदय के समक्ष आपत्ति दायर करने का औचित्य अन्तर्गत आर्बीट्रेशन एवं कॉसिलिएशन Act 1996 के तहत क्या रह जाता है कृपया विस्तृत आधार एवं कारणों सहित सूचना दें, जबकि Act 30 सन 2013 में धारा 33 के अन्तर्गत अन्य प्रावधान दिये गये हैं।

(7) क्या प्रतिकर का पूर्ण भुगतान मय RR धनराशि तथा डिलेड पीरियड का ब्याज किये वगैरह NHAI के अधिकारियों अथवा सक्षम प्राधिकारी को, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 अथवा अन्य किसी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि पर कब्जा लेने का अधिकार है अथवा प्रतिकर का पूर्ण भुगतान मय RR की धनराशि तथा ब्याज की धनराशि के पूर्ण भुगतान के उपरान्त ही कब्जा लिया जा सकता है। सूचित करें जैसाकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में यह सुनिश्चित किया गया है, और यदि कब्जा लिया जा सकता है तो उस कानूनी प्रावधान को सूचित करें।

अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुसार सूचना शुल्क रू० 10/- पोस्टल ऑर्डर संख्या 37F-185623 को आपको प्रेषित किया जा रहा है। भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम लिख कर भुगतान प्राप्त कर लें। आशा है अधिनियम में दी गयी अधिकतम समय सीमा 30 दिन के अन्दर ही आप वांछित सूचना उपलब्ध करायेंगे।

कृपया प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद, पता तथा Telephone/ Mob. भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सधन्यवाद,

प्रार्थी

(दिनेश कुमार अग्रवाल)

दिनांक:- 25.05.2017

संलग्न:- पोस्टल ऑर्डर रू० 10/-
संख्या- 37F-185623

पति- **श्रीमती आशा अग्रवाल,**
208, विभव रेजीडेंसी, विभव नगर, आगरा-282001(U.P.)
Mob. No.: 9837006112